

उद्योग संचालनाय, मध्यप्रदेश
(स्वरोजगार कक्ष)

क्रमांक-3 / स्वरो / (1)5-3ब / 2017 / 2836-2941
प्रति,

भोपाल, दिनांक- 27 / 4 / 2017


1. कलेक्टर, (समस्त)
मध्यप्रदेश
2. महाप्रबंधक(समस्त)
मध्यप्रदेश

विषय:-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत नवीन दिशा-निर्देश।

—0—

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

1. उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से सभी प्रकार के वाहन जैसे-बस, मिनी बस, कार, टेक्सी कार, तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर, ट्रक (Freight वाहन) गुड्स कैरियर वाहन, मशीन/ इक्यूपमेंट वाहन (जे.सी.बी., प्रोकलेन, हार्वेस्टर) इत्यादि प्रतिबंधित किये जाते हैं।
2. उक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व से ही प्रतिबंधित कार, टेक्सी कार को छोड़कर शेष अन्य वाहनों जिनमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में वितरण हो चुका है को मार्जिन मनी / ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।




उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश.

क्रमांक- / स्वरो / (1)5-3ब / 2017 / 2942-3010
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक- 27 / 4 / 2017

1. आयुक्त, संस्थागत वित्त, विंध्याचल भवन, भोपाल।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समन्वयक, एसएलबीसी, सेंट्रल बैंक, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर भेजकार अनुरोध है कि समस्त बैंको को सूचित करने का कष्ट करें।
4. समस्त नोडल बैंक-भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक आफ बड़ोदा, देना बैंक भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संयुक्त संचालक उद्योग (समस्त)परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त प्रबंधक, अग्रणी बैंक, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।



उप संचालक,
कृते उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश